

प्रपत्र-3

परियोजना का नाम :-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में सौड़ से ओसला मोटर मार्ग (लम्बाई-28.100 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7.	परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	:-	सौड़ से ओसला मोटर मार्ग
(i)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	:-	उत्तराखण्ड।
(ii)	जिला	:-	उत्तरकाशी।
(iii)	जिला वन प्रभाग	:-	गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी।
(iv)	पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	:-	7.20 है०।
8.	पूर्वक्षेपण के लिए पहचानी गई वन भूमि का विधिक प्रास्थिति	:-	आरक्षित व सिविल सोयम।
9.	अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्योरा :-		
(i)	वन का प्रकार	:-	चीड़ वन।
(ii)	वनस्पति का औसल पूर्ण घनत्व	:-	0.2
(iii)	प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	:-	172 वृक्ष।
(iv)	पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	:-	-
10.	भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेपण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण	:-	भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है।
11.	वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	:-	2 कि०मी०।
12.	वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेपण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता	:-	उपयोगी है।
(i)	पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि में लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्योरा	:-	भालू, घुरल, बन्दर, लंगूर, जंगली सुअर, सेही आदि।
(ii)	क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र कोरिडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	:-	-
(iii)	क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि०मी० के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	:-	(हाँ) गोविन्द वन्य जीव विहार / रा०पा०, पुरोला।

- (iv) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि०मी० के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाए)
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे
13. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन०ओ०सी०) के साथ उसका ब्यौरा दे)
14. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दे
- (i) क्या भाग-1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोजित अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है
- (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए योग किया जा सकता है
15. किए गये अतिक्रमण के ब्यौरे :-
- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया (हां/नहीं)
- (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है (हां/नहीं)
- (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय
- (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गये क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबंधित उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हां/नहीं)
16. वनस्पति और जीव जन्तु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाये जाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)
17. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

दिनांक 18/03/2020

स्थान पुरोला

हस्ताक्षर

नाम - बलवन्त सिंह शाही।

वन क्षेत्राधिकारी
सांकरि रेंज

गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क
पुरोला (उत्तराखण्ड)

सरकारी मोहर

उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा० प०
पुरोला, उत्तराखण्ड